न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 91/2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया, निवासी जी—37 रीको 4 फेज, भीलवाड़ा	**बनाम**	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा
——अपीलार्थी		**——प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15-12.2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 19.11.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर सं. 48 एफ 471506 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.10.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित किया जो लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को दिनांक 19.10.2020 को प्राप्त हुआ, परंतु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01.12.2020 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से उनके पत्रांक/सू0अ0/2020/5633 दिनांक 04.12.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी के आवेदन पत्र की सूचना, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के पत्रांक/सूअ/2020/5434 दिनांक 09.11.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 10.11.2020 को अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 15-12-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा